भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अंतारांकित प्रश्न संख्या: 1072
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 29 जुलाई, 2024
07 श्रावण 1946 (शक)

सांस्कृतिक विरासत के संबंध में यूनेस्को के दिशानिर्देश

1072. श्री रवीन्द्र शुक्ला ऊर्फ रवि किशन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;
(ग) क्या सरकार ने विरासत संरक्षण और वित्तीय सहायता के उद्देश्य से कुछ स्थलों की पहचान की है;
(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.): सरकार द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को वैश्विक मंच पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): जी, नहीं। यूनेस्को के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, भारत ने 1972 के यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विश्व धरोहर संपत्तियों के साथ-साथ अन्य स्थलों और स्मारकों को उनकी आवश्यकताओं और वार्षिक संरक्षण योजना (एसीपी) के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है।

(ड.): विश्व धरोहर सूची में आगे शामिल किए जाने के लिए 57 संपत्तियाँ संभावित सूची में हैं। तथापि, परिचालन दिशानिर्देश 2023 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर अभिलेख प्रक्रिया के लिए केवल एक संपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। अब तक, 42 संपत्तियों को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जा चुका है।

*****